

जल जीवन मिशन, जलपद-
ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



15/5

जल सम्बन्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई एस ए द्वारा मान्यता अर्थात् प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख-

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख-

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख-

2. ग्राम का नाम एवं जनगणना कोड-

ग्राम पंचायत का नाम-

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

नाम- श्रीधरपुर ब्लॉक का नाम- श्रीधरपुर जिला का नाम- एरवी राज्य का नाम- उ.प्र.

3. ग्राम पंचायत संकल्प

ग्राम समुदाय की जाकाक्षा :

(संख्या) गवेशी कुर्ज को और

(संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल

आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात्

घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले

एल.पी.सी.डी. जल क आपूर्ति वर्ष

तक

ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्भाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सक्षम नहीं करेंगे। हम अपने गढ़ते जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मोठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूजा लागत का x पधलन और रख रखाव लागत के परिमलिन हिस्से का भुगतान किया जायेगा और जल आपूर्ति के प्रबंधन में योगदान किया जायेगा

*पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा

II ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति ए अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजन कार्यान्वयन प्रबंधन प्रजलन और रख रखाव का नेतृत्व करेगी

(ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति)-उप समिति

समिति को क्या कहा जाता है-ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति

अध्यक्ष का नाम-श्री/श्रीमती

लिंग-पुरुष/स्त्री

आयु-

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | लिंग | आयु |
|---------|----------------|-------|---------|
| 1. | सरनरतन मय | पुरुष | 40 वर्ष |
| 2. | शिव शर्मा | " | 65 वर्ष |
| 3. | दश रज | " | 40 वर्ष |
| 4. | श्रीमती | " | 42 वर्ष |
| 5. | श्री शिव शर्मा | " | 35 वर्ष |
| 6. | श्री | महिला | 35 वर्ष |
| 7. | श्री | " | 35 वर्ष |
| 8. | श्री | " | 30 वर्ष |
| 9. | श्री | " | 35 वर्ष |
| 10. | श्री | " | 30 वर्ष |
| 11. | श्री | " | 45 वर्ष |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |

III. सामान्य विवरण

| 2011 की जनगणना के अनुसार | वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार | | | |
|--------------------------|--|-----------|--|------|
| | ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों के नाम | योग | ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों के नाम | योग |
| 1100 | नरक नरक | 1130/1142 | | 1100 |
| जनसंख्या | | 1100 | | 1100 |

| | | |
|--|--|--|
| एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. | ग्रामीण विकास मंत्रालय | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) | भूमि संसाधन विभाग | वाटरशेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एम./कृषि पुनर्भरण, जल निकासी का निर्माण/वृद्धि आदि। |
| जल मंडलों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बड़े जल मंडलों का जीर्णोद्धार |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | वाटरशेड से संबंधित कार्य |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्सीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए |
| क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि |
| समाज शिक्षा | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान |
| आकाशी जिला कार्यक्रम | नीति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधिओं के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.एफ.) | राज्य | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ |
| एम.पी.एल.ए.डी. | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) | अंतःग्राम अवसंरचना |
| एम.एल.ए.एल.ए.डी. | राज्य | अंतःग्राम अवसंरचना |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य | अंतःग्राम अवसंरचना |
| दानदाता/प्रायोजक | | |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर _____

S. M. Wani

अश्विमानु (प्रधान)

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग का मुख्यालय का कक्षा और हस्ताक्षर
विन्ध्य 0 शाहाबाद (हरदोई)

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष :
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर : सुवाध गुला मोब- 0007913920

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर :

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर :

1. *सुनिता देवी* - 99 089 6079
2. *सुनिता देवी* - 93697249 08
3. *सरोजिनी* - 7302339616
4. *सावित्री* - 9500710319
5. *सुवाध गुला* - 9621563747

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर